बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 136

श्रम कानूनों में सुधार

सरकार ने भारत में निवेश आकर्षित करने की बड़ी बाधा माने जाने वाले जटिल श्रम कानूनों के सुधार की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले दो महीनों में ही श्रम सुधारों से संबंधित दो नए विधेयक पेश कर श्रम कानूनों से जुड़ी गुत्थी सुलझाने की प्रतिबद्धता दर्शायी है। इन दोनों कानूनों- वेतन संहिता विधेयक और पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात विधेयक 2019 में 17 पुराने श्रम कानूनों का समावेश किया गया है। इस तरह श्रम कानूनों संबंधी प्रावधानों की कुल संख्या 747 से घटकर 203 रह गई है। सहज अनुपालन के लिए एक अहम प्रस्ताव एकल पंजीकरण, एकल लाइसेंस और सेवा एवं उद्योग प्रतिष्ठान के लिए एकल रिटर्न भरने के साथ ही देश भर में कहीं भी कम-से-कम 10 कर्मचारियों को नौकरी पर रखने का है। इससे न केवल विश्व बैंक के कारोबारी सुगमता सूचकांक में भारत की रैंकिंग सुधरेगी बल्कि यहां नया कारोबार लगाना भी अधिक सरल हो सकेगा। फिलहाल एक इकाई को आठ श्रम कानूनों के तहत पंजीकरण कराना होता है, अलग-अलग लाइसेंस लेने होते हैं और 17 कानूनों के लिए रिटर्न भरना होता है।

इसी तरह पेशेवर सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कामकाजी हालात विधेयक में किए गए एक प्रावधान के मुताबिक, कंपनियों को पांच साल की अवधि के लिए अनुबंधित कामगारों वाली कई परियोजनाएं पूरी करने के लिए एक ही लाइसेंस लेने की जरूरत होगी। फिलहाल कंपनियों को अलग-अलग परियोजनाओं के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेने पड़ते हैं जिससे उनको पूरा करने में देर होती है। हालांकि कंपनियों के लिए पांच वर्षों के दौरान जरूरत पड़ने वाले अनुबंधों की संख्या के बारे में बताने का जिक्र करने वाले उपबंध पर फिर से गौर किया जाना चाहिए। निर्धारित संख्या से एक भी अधिक कर्मचारी रखने के लिए लाइसेंस की दोबारा अर्जी लगाने को कहने से कानून का अनुपालन सरल बनाने का विचार धराशायी हो जाएगा।

वेतन विधेयक संहिता का नया मसौदा स्वागतयोग्य है क्योंकि वर्ष 2017 में पेश किया गया पिछला मसौदा सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन कानून के दायरे में लाने की बात करता था। सरकार ने राज्यों के लिए अलग-अलग 'राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन' तय करने के प्रस्ताव पर उनकी चिंताएं भी दूर करने की कोशिश की है। यह राज्यों के लिए एक अनिवार्य ढांचा तय करेगा जो 'श्रमिकों की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों' पर आधारित होगा। इससे राज्यों को एक ही स्तर पर होने के बावजूद अपने यहां न्यूनतम वेतन का अलग स्तर तय करने की सुविधा मिलेगी। अगला तर्कसंगत कदम इस स्तर को वाजिब स्तर पर रखने का होगा ताकि सभी राज्य प्रतिस्पर्द्धा के मोर्चे पर पीछे छूटे बगैर नियम का पालन कर सकें।

लेकिन इस कानून में रखा गया यह प्रस्ताव गलत है कि न्यूनतम वेतन 'प्राथमिक तौर पर' दक्षता या भूगोल या इन दोनों के आधार पर तय किया जाएगा। कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने से बाजार के सुचारु संचालन में बाधा आएगी क्योंकि न्यूनतम स्तर से आगे वेतन बाजार से ही जुड़ा होना चाहिए। इसके अलावा केरल में कुशलता के आधार पर 10 अलग तरह के न्यूनतम वेतन हैं जबकि चंडीगढ़ में नौ और बिहार एवं दिल्ली में छह-छह तरह के न्यूनतम वेतन हैं। यह विधेयक एक राज्य में न्यूनतम वेतन के अलग स्वरूप पैदा कर सकता है।

आगे चलकर श्रम सुधार की दिशा में असली परीक्षा औद्योगिक संबंध विधेयक संहिता पर होगी। कारोबारी इकाइयों को अपने कर्मचारियों की छंटनी करने या धंधा बंद करने के मामले में अधिक लचीला बनाने के लिए यह सुधार अहम होगा। अधिक कर्मचारियों को नौकरी पर रखने और आर्थिक स्थिति को काबू में रखने के लिए इकाइयों को अधिक लचीला बनाने से वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ेगी।

अजय मोहंती

भारत में जी 20 की बैठक कैसे हो कामयाब

भारत को इस बात को लेकर सचेत रहना होगा कि दुनिया का प्रमुख बहुपक्षीय आर्थिक मंच कहीं द्विपक्षीय बातचीत का मंच बनकर न रह जाए। विस्तार से जानकारी प्रदान कर रहे हैं **आलोक शील**

इस बात पर आम सहमति है कि जी 20 वैश्विक आर्थिक सहयोग का प्रमुख बहुपक्षीय मंच है। जी 20 देशों की 17वीं शिखर बैठक सन 2022 में भारत में आयोजित होगी। यह अब तक की सर्वाधिक अधिकार प्राप्त बैठक होगी जिसकी हमारा देश मेजबानी करेगा। इस दौरान तमाम महत्त्वपूर्ण देशों के नेताओं के मौजूद रहने की उम्मीद है। इनमें जी 7 देशों के नेता और ब्रिक्स के नेता शामिल हैं। भारतीय प्रधानमंत्री एक ऐसी बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जर्मन चांसलर, यूरोपीय संघ के प्रमुख, चीन के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री, रूस के राष्ट्रपति के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र जैसे संस्थानों के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि ये नेता एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे जिसे इतिहास में नई दिल्ली घोषणापत्र या 'नई दिल्ली कार्य योजना' के नाम से जाना जा सकता है।

जी 20 शिखर बैठक की सफल मेजबानी के क्या-क्या जरूरी है? सबसे पहले तो इतने सारे प्रभावशाली वैश्विक नेताओं की एक ही स्थान पर मेजबानी, उनका परिवहन और सुरक्षा व्यवस्था अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि इस शिखर बैठक का आयोजन दिल्ली में निर्माणाधीन एक नई इमारत में होगा। हालांकि यह जरूरी नहीं कि बैठक का आयोजन दिल्ली में ही किया जाए। शुरुआती कुछ शिखर बैठकों का आयोजन कान (फ्रांस), लॉकस काबॉस (मैक्सिको) और ओसाका में हुई बैठकें प्राय: आरामदेह रिजॉर्ट में आयोजित की गईं। समुचित आयोजन स्थलों के अलावा सुरक्षा, हवाई एवं सड़क परिवहन पर नियंत्रण के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में पांच सितारा होटलों के कमरों की भी आवश्यकता होगी।

जी 20 ने बहुत सचेत ढंग से यह निर्णय लिया है कि वह अपना सचिवालय नहीं स्थापित करेगा। ऐसा इस आशंका के कारण किया गया कि कहीं यह संस्थान भी आईएमएफ और विश्व बैंक की तरह अंतरराष्ट्रीय अफसरशाही का बंधक बनकर न रह जाए। इस संगठन की चाह यह रही है कि इसके नेता शिखर बैठक की प्रक्रियाओं में अहम जिम्मेदारी संभालें। माना जाता है कि साल दर साल इसकी अध्यक्षता बदलने से नई ऊर्जा का संचार होगा और संस्थान आगे बढ़ेगा। वर्तमान, पिछले और आगामी अध्यक्ष देश इसे संस्थागत निरंतरता प्रदान करते हैं। भारत सन 2021 से 2023 तक इस त्रयी का सदस्य रहेगा। बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश को यह विशेषाधिकार रहता है कि वह तीन विशेष आमंत्रित देशों में से दो का चयन करे। हालांकि स्पेन जी 20 का हिस्सा नहीं है लेकिन उसने इसकी हर बैठक में शिरकत की है। अफ्रीका से भी एक विशेष आमंत्रित सदस्य रहता है। भारत के पास अवसर है कि वह अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर सार्क देशों में से किसी एक को बैठक में शामिल होने का न्योता दे।

जी 20 की स्थापना सन 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के दौरान वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों के स्तर पर की गई थी। सन 2008 में शेरपा चैनल के साथ इसे बढ़ाकर शिखर वार्ता के स्तर का कर दिया गया। शेरपा वह नेता होता है जो आयोजन के घोषणापत्र पर बनी सहमति की जवाबदेही लेता है।

शुरुआती तीन शिखर बैठकें वाशिंगटन डीसी, लंदन और पिट्सबर्ग में आयोजित की गईं। ये तीनों बैठकें तात्कालिक वैश्विक वित्तीय संकट से निपटने का जरिया थीं। पिट्सबर्ग में विजय की घोषणा के साथ जी 20 ने अपना ध्यान ढांचागत और संकट से परे अन्य मुद्दों पर देना शुरू किया। इसमें वित्तीय नियमन सुधार, वैश्विक असंतुलन दूर करना और वृद्धि शामिल थे। भारत कनाडा के साथ जी 20 के शीर्ष कार्य समूह का सह-अध्यक्ष है। मजबूत, स्थायी, संतुलित और समान वृद्धि इसका लक्ष्य है। बाद में इसमें विकास, पर्यावरण, व्यापार, कृषि आदि विभागों के मंत्री भी शामिल किए गए। थिंक टैंक 20, वीमन 20 और यूथ 20 के रूप में इसके गैर सरकारी अंग भी हैं।

एक ऐसी शिखर बैठक जिसके सहमति दस्तावेज पर दुनिया के तमाम शीर्ष राजनेता हस्ताक्षर करते हों, उसे तैयार होने में एक वर्ष से अधिक का वक्त लगता है। सन 2020 में शिखर बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश सऊदी अरब में सन 2018 में ही सचिवालय स्थापित कर लिया गया था। चूंकि देश में नई सरकार आ चुकी है, इसलिए हमारे यहां भी इस दिशा में काम शुरू कर देना चाहिए। अध्यक्षता वाले देश के लिए वर्ष भर के लिए तीन चार चार प्राथमिकताएं तय करना और जी 20 पर अपनी छाप छोड़ने के लिए नए काम शुरू करने की रस्म है। भारत को यह देखना होगा कि वह किन बातों को प्राथमिकता पर रखना चाहता है और वह किन मंत्रालयों की मेजबानी करना चाहता है। इन बातों में जहां भारत के घरेलू हित झलकने चाहिए, वहीं एक सफल शिखर बैठक में बड़े मुल्कों मसलन अमेरिका और जर्मनी तथा चीन आदि को भी प्रक्रिया से जोड़ना चाहिए।

इस प्रक्रिया का नेतृत्व करने वाले भारतीय शेरपा का कद ऐसा हो कि उसे वैश्विक नेतृत्व समूह में मान मिले। इसके अलावा उसे प्रधानमंत्री का भरोसा और करीबी हासिल हो। ऐसी उच्चस्तरीय शिखर बैठक के लिए प्राय: ऐसे व्यक्ति को शेरपा चुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हो। हालांकि वह विदेश मंत्रालय से भी हो सकता है।

समुचित अनुभव वाले सेवारत या सेवानिवृत्त अफसरशाह को यह दायित्व सौंपा जा सकता है, हालांकि ऐसा अनिवार्य नहीं है। विदेश मंत्रालय और आर्थिक मामलों के मंत्रालय की एक मजबूत और समर्पित टीम का होना जरूरी है। विदेश मंत्रालय को जी 20 देशों के दूतावासों से बेहतर संवाद कायम करना होगा। खासतौर पर प्रतिभागी चयन के मामले में।

जोखिम इस बात का है कि अगर जी 20 के प्रमुख देशों ने मजबूती नहीं दिखाई तो बैठक पर ऐसी बातें हावी हो सकती है जिनका आधिकारिक एजेंडे से कोई लेनादेना नहीं है। खासतौर पर तब जबकि इसकी मेजबानी एक गैर जी 7 देश कर रहा है। सीरिया संकट ने सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित बैठक को प्रभावित किया था। ब्रेक्सिट, खशोगी मामले और द्विपक्षीय व्यापार से जुड़े मुद्दों ने ब्यूनस आयरस की बैठक को प्रभावित किया था। हाल ही में ओसाका में संपन्न बैठक पर अमेरिका-चीन की व्यापारिक लड़ाई की छाया पड़ना लाजिमी था।

जी 20 देशों की बैठक में दुनिया भर के शीर्ष नेता एकत्रित होते हैं। ऐसे में द्विपक्षीय चर्चाएं होना अस्वाभाविक नहीं है। परंतु दुनिया के इस शीर्ष बहुपक्षीय आर्थिक मंच पर इसका खतरा कभी इतना नहीं रहा जितना कि अभी महसूस किया जा रहा है। जी 20 देशों की शिखर बैठक का असल परीक्षण इस बात से होगा कि इसे नई दिल्ली घोषणा पत्र/कार्य योजना के लिए जाना जाता है या महाशक्तियों के बीच उच्च स्तरीय द्विपक्षीय चर्चाओं के लिए।

(लेखक अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी और इक्रियर की आरबीआई चेयर में हैं। वह पहले सात जी 20 शिखर सम्मेलनों में भारत के प्रतिनिधिमंडल से संबद्ध रहे।)

बातचीत और राजनीतिक पहल से ही कश्मीर में निकलेगा कोई हल

दोधारी तलवार

अजय शुक्ला

पिछले हफ्ते मैंने कश्मीर के युवाओं की मनोदशा परखने के लिए वहां चार दिन बिताए। कश्मीर के युवाओं से बातचीत काफी अहम है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के अलगाववादी नेताओं के 'संयुक्त प्रतिरोध नेतृत्व' खत्म होने के बाद एक विभाजित एवं बेहद स्थानीय युवा नेतृत्व अब सुरक्षाबलों के साथ टकराव की राह पर है। दक्षिण कश्मीर के अशांत जिलों में युवाओं से बात करने पर साफ हो जाता है कि भारत सरकार को लेकर लंबे समय से चला आ रहा कश्मीरी गुस्सा अब नफरत में तब्दील हो चुका है। हरेक कश्मीरी यही दलील देगा कि मोदी सरकार का 'तीव्र मुस्लिम-विरोध' द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को वैधता देता है और इस देश में अब मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। वे सुरक्षाबलों के हाथों दुर्व्यवहार की अनगिनत घटनाएं बताते हैं। उनके मुताबिक हरेक कश्मीरी को निर्दोष साबित होने तक आतंकवादी ही माना जाता है। वहां के युवाओं में नशे की बढ़ती लत के लिए भी भारतीय साजिश को जिम्मेदार माना जाता है। कई युवाओं का कहना कि आजादी मिलने तक कश्मीर के लोग अपना संघर्ष जारी रखेंगे।

हालांकि कश्मीर मामलों के जानकारों का कहना है कि लोगों के भीतर के इस गुस्से को बाहर निकालने की जरूरत है। किसी भी बातचीत का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से की तुलना में समझदारी और व्यवहारिकता से भरा होता है। कश्मीरियों को अपनी स्थिति सड़क के दोराहे जैसी नजर आ रही है। एक रास्ता अनवरत हिंसा, अनिश्चय और सुरक्षाबलों की कार्रवाई से भरपूर है तो दूसरा रास्ता वार्तालाप एवं शांति वाला है। सबको मालूम है कि बातचीत शुरू करने भर से हिंसा खत्म नहीं होगी लेकिन इससे ध्यान संघर्ष के बजाय मेलमिलाप पर केंद्रित हो जाएगा। कश्मीर के लोग नई दिल्ली से बातचीत की पहल होने की राह देख रहे हैं लेकिन सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं।

लोगों के भीतर दशकों से जारी हिंसा से उपजी थकान भी एक कारक है। सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में आतंकी कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद 2016 के मध्य में कश्मीर घाटी सुलग उठी थी। उसके बाद से केंद्र सरकार ने सुरक्षाबलों के ही जरिये कश्मीर से संवाद रखा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की यह रणनीति इस धारणा पर आधारित है कि दशकों से कश्मीरियों को पुचकारा जाता रहा है और अब उन्हें यह याद दिलाने की जरूरत है कि केंद्र मुश्किल विकल्प भी अपना सकता है। इसी राह पर चलते हुए केंद्र सरकार ने आतंक-रोधी अभियानों के साथ अलगाववादी नेताओं के वित्तीय स्रोतों पर नकेल कसी है। इस दौरान सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक को घर में नजरबंद रखा गया जबकि यासीन मलिक और शब्बीर शाह को जेल भेजा जा चुका है।

महबूबा मुफ्ती की सरकार गिरने के बाद राज्य में राज्यपाल शासन लागू कर राजनीतिक गतिविधियां भी लगभग रोक दी गई हैं। उमर अब्दुल्ला की नैशनल कॉन्फ्रेंस को भी बख्शे जाने की संभावना नहीं है। प्रशासन की कमान राज्यपाल सत्यपाल मलिक के हाथों में है जिनकी छवि पर सवाल उठते रहे हैं।

सुरक्षाबलों की भी लग रहा है कि वे नीचे आने वाले एस्केलेटर पर भाग रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड बताता है कि वर्ष 2013-15 में सड़क पर हिंसा का दौर थमने, पर्यटन के जोर पकड़ने और घाटी में महज 150 आतंकवादी ही रह जाने की माकूल स्थिति का फायदा उठाकर राजनीतिक संवाद का मौका गंवा दिया गया था। इसके बजाय भाजपा की अगुआई वाली केंद्र सरकार के बहुसंख्यक एजेंडा ने कश्मीर को फिर से अलगाव की तरफ धकेल दिया। गत तीन वर्षों में हिंसा की यह आग और भड़की है। इस दौरान सुरक्षाबलों को भी खासा नुकसान उठाना पड़ा है। वर्ष 2009-12 के दौरान हरेक तीन आतंकी मारने के क्रम में एक जवान शहीद होता था लेकिन 2016 के बाद से यह अनुपात दोगुना हो गया है। इस स्थिति पर काबू पाना है तो कश्मीर में नई राजनीतिक पहल होनी जरूरी है।

ऐसा कुछ होने के संकेत नजर आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कश्मीर यात्रा के दौरान नवनिर्वाचित पंचायत प्रमुखों को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कश्मीर मसले के जल्द समाधान का ऐलान करते हुए कहा है कि दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं सकती है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अगर बातचीत से ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा रास्ता भी मालूम है। कश्मीर में चल रहीं सरकारी योजनाओं पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की निगरानी बढ़ने से भी चुनावों के संकेत मिलते हैं।

स्थानीय नेता मानते हैं कि भाजपा कश्मीर में अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है ताकि अनुच्छेद 370 और 35ए को वह संविधान से हटा सके। लेकिन कश्मीरी नेताओं एवं सुरक्षा विशेषज्ञों दोनों का मानना है कि कश्मीर की अलग पहचान पर चोट करने वाली कोई भी योजना गहरी खाई पैदा कर सकती है।

हालांकि भाजपा की सोच है कि विधानसभा में बहुमत होने और सुरक्षाबलों के सहारे वह इन बदलावों पर होने वाली प्रतिक्रिया से निपट सकती है। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के लिए भाजपा को जम्मू क्षेत्र की 37 एवं लद्दाख की चार सीटों पर भारी जीत दर्ज करनी होगी। कश्मीर घाटी में भी कुछ छिटपुट सीटें जीतकर वह 87 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत की उम्मीद कर सकती है। लेकिन इसके लिए नैशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को कमजोर करना होगा और छोटे दलों का भी साथ लेना होगा।

लेकिन कट्टरपंथी अलगाववादियों को वार्तालाप में शामिल नहीं करने पर मोदी सरकार की प्रतिष्ठा को ठेस लगेगी। मेलमिलाप बढ़ाने के साथ सरकार को कश्मीरी युवाओं को घाटी से बाहर निकलने और मुख्यधारा में शामिल होने का मौका भी देना होगा। कभी उग्रवादी हिंसा से ग्रस्त रहे पूर्वोत्तर राज्य मुख्यधारा का हिस्सा बन रहे हैं। यही रास्ता कश्मीर के युवाओं के लिए भी अपनाया जाना चाहिए।

कानाफूसी

हनुमान बेनीवाल की चिंता

राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनीवाल ने पिछले दिनों लोकसभा में कहा कि देश भर में बढ़ते सड़क हादसों की एक वजह बढ़ती आबादी भी है। उन्होंने सुझाव दिया कि जिन लोगों के तीन से अधिक बच्चे हैं उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान बेनीवाल ने कहा कि अगर हम पड़ोसी चीन की तरह दो बच्चों की नीति नहीं बना सकते तो देश में तीन बच्चों की नीति लागू की जानी चाहिए। सूत्रों का भरोसा करें तो दरअसल बेनीवाल ने तीन बच्चों की बात इसलिए की क्योंकि राजस्थान में तीन बच्चे होना आम है और बेनीवाल के कई राजनीतिक सहयोगियों के भी तीन बच्चे हैं।

तिवारी का प्रदर्शन

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को सरकार को घेरने की पूरी तैयारी के साथ संसद पहुंचीं। मुद्दा था अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की कश्मीर पर टिप्पणी। शून्यकाल के दौरान जब इस विषय पर कांग्रेस के हमले का नेतृत्व कर रहे मनीष तिवारी ने सरकार को निशाना बनाया तो सोनिया गांधी ने प्लास्टिक के फोल्डर से कागजों का एक पुलिंदा बाहर निकाला और उनमें से कुछ कागज तिवारी को दिए। तिवारी ने कश्मीर मसले पर ट्रंप की टिप्पणी पढ़नी शुरू की। इसके बाद उन्होंने ये कागज गांधी को लौटा दिए। गौरतलब है कि तिवारी के बजाय कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा में अपना नेता चुना है लेकिन मौजूदा सत्र के दौरान तिवारी ही पार्टी की ओर से सबसे बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं।

आपका पक्ष

ट्रंप के बयान का लाभ लेने का समय

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ एक साक्षात्कार में कश्मीर मामले में बयान दिया। इसके बाद से देश में ट्रंप के बयान की आलोचना होने लगी तथा विपक्षी दलों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बयान पर स्पष्टीकरण की मांग की जाने लगी। दरअसल ट्रंप ने कहा था कि कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनसे मध्यस्थता की बात कही है। ट्रंप के इस बयान के बाद देश में सियासी माहौल गर्मा गया तथा विपक्ष प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग करने लगे। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा तथा राज्य सभा में ट्रंप के बयान का खंडन किया तथा भारत की रणनीति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत सीमा पार से जारी आतंकवाद बंद होने के बाद, लाहौर घोषणापत्र और शिमला समझौते के अंतर्गत ही होगी। बहरहाल ट्रंप के बयान ने देश में माहौल गर्मा दिया है तथा देशभक्ति की भावना को फिर एक बार जगा दिया है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है तथा भारत इसे किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान ने पहले भी कई बार कश्मीर को हासिल करने के लिए कायराना हरकत कर चुका है तथा आज भी आतंकवाद के जरिये घाटी को अशांत कर रखा है। भारत को इसी बहाने पाकिस्तान को कड़ा जवाब देना चाहिए तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से उसे खदेड़ देना चाहिए। इस कार्य में ट्रंप इस शर्त पर शामिल होगा कि वह दोनों देश के बीच में नहीं पड़ेगा इससे भारत पर अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनेगा तथा भारत अपना हक वापस हासिल कर सकेगा। इस मामले में विपक्षी दलों को भी अपने सियासी लाभ का मोह छोड़कर सरकार का साथ देना चहिए तथा एकजुट होकर पाकिस्तान को कठोर सबक सिखाना चाहिए।

अभिषेक कुमार, नई दिल्ली

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के कश्मीर मामले वाले बयान पर विपक्ष ने स्पष्टीकरण मांगा

विधायकों का दल बदलना कितना सही

कर्नाटक में पिछले कई दिनों से चला आ रहा राजनीतिक संकट का अंत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद खत्म हो गया। पिछले कई दिनों से राजनीतिक संकट का सामना कर रहे निवर्तमान मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विधानसभा में बहुमत साबित करने में नाकाम रहे। सरकार के पक्ष में 99 तथा विपक्ष में 105 मत पड़े। दरअसल कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन के करीब 15 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था जिसके बाद से सरकार अल्पमत में आ गई थी। सवाल यह है कि क्या विधायकों को इस तरह साथ छोड़ देना उचित है। विधायक किसी पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ते हैं तथा मतदाता विधायक या पार्टी को देखकर मतदान करते हैं। ऐसे में अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले विधायक दल बदल लेते हैं या सरकार से समर्थन वापस ले लेते हैं इसकी जवाबदेही किसी होगी। जनता ने उन्हें पूरे पांच साल के लिए चुना है तो उन्हें सरकार अथवा जनता को बीच मझधार में छोड़कर जाना ठीक नहीं है। दलबदल के दुरुपयोग से बचने के लिए कोई ठोस नियम बनाए जाने चाहिए। दलबदल का खमियाजा सिर्फ एक दल नहीं सभी दलों को भुगतना पड़ता है। इससे राज्य को आर्थिक नुकसान भी होता है क्योंकि चुनाव में काफी धन खर्च होता है।

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in उस जगह का उल्लेख अवश्य करें, जहां से आप ईमेल कर रहे हैं।